न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 146/2022/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक 04.11.2022
अन्तर्गत धाराः अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

स्व0 चतरनाथ आत्मज जीवन नाथ, निवासी ग्राम आकोल्या, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी जरिये का0मु

1(1) नन्दानाथ आत्मज स्व0 चतरनाथ, निवासी ग्राम आकोल्या, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पेरोकार सरकार

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक –अपीलार्थी
रेस्पो0 पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 14.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उप जिला कलक्टर (उपनिवेशन) हिण्डोली (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2008 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर (उपनिवेशन) हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2008 से चतरनाथ आत्मज जीवननाथ जाति बाबाजी निवासी आकोल्या को ग्राम दबलाना हाल आकोल्या की भूमि खसरा सं0 2145 रकबा 4.10 बीघा का किया गया आवंटन 23.05.1960 को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर (उपनिवेशन) हिण्डोली (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2008 से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटी चतरनाथ को

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

नोटिस दिये बिना ही उस पर नोटिस की व्यक्तिगत रूप से तामील हुये बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर हुक्मजैरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य हैं। आवंटी चतरनाथ द्वारा आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना की गई थी। आवंटन की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया था इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन मानकर हुक्म जेरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। वक्त आवंटन से ही आवंटी प्रश्नगत आराजी पर निरंतर काबिज चला आ रहा है तथा आवंटी के स्वर्गवास के उपरांत से अपीलार्थी उसका पुत्र एवं उत्तराधिकार होने से उपरोक्तभूमि पर काबिज चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार, हिण्डोली की एकपक्षीय गलत एवं त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट का आधार मानकर हुक्म जेरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.11.2008 निरस्त फरमाया जावे तथा स्व0 चतरनाथ के पक्ष में किया गया आवंटन यथावत रखा जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटी चतरनाथ के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर हुक्मजैरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य हैं। आवंटी चतरनाथ द्वारा आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह बिना विवेचन किये ही पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है। राजस्थान उप निवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 1968 के नियम 17ए के तहत उक्त आवंटन के निरस्तीकरण की कार्यवाही का क्षेत्राधिकार संबंधित जिला कलक्टर, को प्रदत्त हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 1989 Page No. 211 पेश किये।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

6. प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा मियाद कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर प्रस्तुत अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमायी जाकर गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का अनुरोध किया गया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर (उपनिवेशन) हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2008 से चतरनाथ आत्मज जीवननाथ जाति बाबाजी निवासी आकोल्या को ग्राम दवलाना हाल आकोल्या की भूमि खसरा सं0 2145 रकबा 4.10 बीघा का किया गया आवंटन 23.05.1960 को आवंटी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं सरकारी भूमि आवंटन) नियम 1968 (धारा 17) की पालना नहीं किया जाना मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क रहा है कि आवंटी चतरनाथ द्वारा आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह बिना विवेचन किये ही पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है। राजस्थान उप निवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 1968 के नियम 17ए के तहत उक्त आवंटन के निरस्तीकरण की कार्यवाही का क्षेत्राधिकार संबंधित जिला कलक्टर, को प्रदत्त हैं।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विवेचन किये ही निर्णय पारित किया गया है। साथ ही राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं सरकारी भूमि आवंटन) नियम 1968 की धारा 17ए अनुसार *'Cancellation of allotment:- The Collector of the district shall have the power to cancel any allotment made under there Rules, either suo motu or on the application of any person, in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation, or has been made against the rules or in case the allotee has committted breach of any of the conditions of allotment: Provided that no such order, to the prejudice fo any person, shall be passed without giving such person an opportunity of being heard."*

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

इस प्रकार आवंटन शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं सरकारी भूमि आवंटन) नियम 1968 की धारा 17ए अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बिना विवेचन तथा क्षेत्राधिकार के परे जाकर पारित किये जाने से उक्त निर्णय को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। लिहाजा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर (उपनिवेशन) हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2008 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, हिण्डोली प्रकरण में राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं सरकारी भूमि आवंटन) नियम 1968 में निहित प्रावधानों के अनुसार सक्षम स्तर पर चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा